

—संपरिवर्तन आदेश—

आवेदक/प्रार्थी श्री गोपाल, भाग्यराम, रामेश्वरलाल, सेवाराम, हरदेवराम पुत्रगण रघनाथ प्रसाद श्रीमति गीता देवी, जीवणी देवी, मीरादेवी, पुत्रीया रघनाथप्रसाद जाति समस्त जाट निवासी चारणवास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदकों की खातेदारी अभिघृत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिघृत का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री गोपाल, भाग्यराम, रामेश्वरलाल, सेवाराम, हरदेवराम पुत्रगण रघनाथ प्रसाद श्रीमति गीता देवी, जीवणी देवी, मीरादेवी, पुत्रीया रघनाथप्रसाद जाति समस्त जाट निवासी चारणवास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2	वया आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3	(ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम खेत्रभूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ग्राम दांता ग्राम पंचायत दांता तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) ख.न. 2704 / 2092 रकबा 0.29 है 0, किस्म गै०म० बारानी में से संपूर्ण 0.29 है 0 यानि 2900 वर्गमीटर
	(प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. कुल रकबा संपरिवर्तित रकबा कुल क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर) 2704 / 2092 0.29 है 0 0.29 है 0 2900 वर्गमीटर
	टिप्पणी:—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तन रकबे को वरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
5	संदेय प्रीमियम की दर	12.90 रु. प्रति व.मी.
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 834 दिनांक 17.08.2020 से रु. 37410/- जमा
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
9	वया आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इंपिड्यन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सड़क/रास्ते/रेलवे की सीमा भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।

कृ.प.उ...2

२०८३  
संपरिवर्तन अधिकारी  
दांतारामगढ़ (सीकर)

१११  
उप पंजीयक  
दांतारामगढ़, सीकर

मीरा जीता



उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

1. इंडियन रोड कॉम्प्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपथ में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कॉम्प्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र कंमाक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र कंमाक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कॉम्प्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने पर 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करवायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
12. सुविधा एवं सड़कों आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि का सांख्यनिक उपयोग किया जा सकेगा।

  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 (उपर्युक्त अधिकारी, दांतारामगढ़ )  
 दांतारामगढ़ (सीकर)

कंमाक / भू.रु./2020/राजस्व/५६१-६६

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान जिला कलवटर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
3. उप पंजीयक दांतारामगढ़।
4. पटवारी हल्का, दांता को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।
5. श्री गोपाल, भागुराम, रामेश्वरलाल, सेवाराम, हरदेवाराम पुत्रगण रघनाथ प्रसाद श्रीमति गीता देवी, जीवणी देवी, मीरादेवी, पुन्नीया रघनाथप्रसाद जाति समस्त जाट निवासी चारणवास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली



  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 (उपर्युक्त अधिकारी, दांतारामगढ़ )  
 दांतारामगढ़ (सीकर)